



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1805/UP/6/2023-ESDW

दिनांक: 19.06.2023


डॉ. हरि ओम,
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
प्राग नारायण रोड,
बटलर कॉलोनी लखनऊ,
उत्तर प्रदेश-226001
ई-मेल: pr.sec.sw@dircsamajkalyan.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति शुल्क में समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ द्वारा किया जा रहे घोटाले के संबंध में श्री जयकिशन कुमार गोंड, पुत्र श्री बिरबली गोंड, ग्राम-बड़गाँव टोला धर्मागर छपरा, पोस्ट-कुबेर स्थान, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274304 की और से दिनांक 19.05.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री जयकिशन कुमार गोंड से दिनांक 19.05.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री जयकिशन कुमार गोंड,
पुत्र श्री बिरबली गोंड,
ग्राम-बड़गाँव टोला धर्मागर छपरा,
पोस्ट-कुबेर स्थान, जिला-कुशीनगर,
उत्तर प्रदेश-274304
2. ✓ एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।